कार्यालय अधीक्षक सब जेल जतारा जिला टीकमगढ (म.प्र.)

निविदा की शर्तें

1. वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए खाद्यान्न, सब्जियों, दवाईयों,स्वच्छता/विधुत सामग्री एवं अन्य सामग्री के कय की कार्यवाही म.प्र. जेल पूर्ति नियम , 1968 एवं मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम,2015(यथा संशोधित–2022) के अंतर्गत ई–टेण्डरिंग के माध्यम से अर्थात ऑनलाइन की जाएगी।
2. **द्वितीय** निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रूपये 500 एवं 5 लाख से अधिक रू. 1000, प्रति निविदा फार्म ऑनलाइन लेखा शीर्ष 0056 जेलें–800 अन्य प्राप्तियां में जमा करना होगा।
3. **द्वितीय** निविदाएं खंडवार पृथक–पृथक ऑनलाइन जमा की जाएगी। निविदा में 3 प्रतिशत् निविदा प्रतिभूति की राशि खंडानुसार www.mptenders.gov.in पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (earnest Money Deposit) की राशि का विवरण निम्नानुसार है:

कमांक	खण्ड का नाम	कुल लागत	3 प्रतिशत बयाने की राशि
1	खाद्यान्न	1500000.00	45000.00
2	सब्जियां	300000.00	9000.00
3	दवाइयां ब्राण्डेड एवं दवाइयां जेनेरिक आवश्यक जांच एवं परीक्षण,सर्जिकल आईटम चिकित्सा उपकरण,लैब सामग्री एवं चिकित्सीय जांच	200000.00	6000.00
4	स्वच्छता/अन्य सामग्री	500000.00	15000.00
5	भवन निर्माण सामग्री	500000.00	15000.00

4. वार्षिक ई–निविदा में दर्शायी गयी वस्तुओं के भाव अधिकतम दिनांक 30.06.2027 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक, जो भी प्रथम हो, वैध रहेगें।
5. खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छे स्तर की होनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जाएं वे समस्त करों सहित होनी चाहिए। पृथक से कोई कर देय नहीं होगा।
6. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी जो वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे। प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी.रिटर्न अथवा पिछली तिमाही का जी.एस.टी.रिटर्न प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं कय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएगी। तिथि परिवर्तन की सूचना www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएंगी एवं निविदाकारो को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा।
8. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप कारागार अधिनियम, 1894 की धारा–10 एवं जेल मुख्यालय, म.प्र. के पत्र कमांक 493/निर्वाह शाखा/भोपाल, दिनांक 09.01.2026 द्वारा म0प्र0 राजपत्र प्राधिकार से प्रकासित दिनांक 09/09/25 के अनुसार 50 के स्थान पर 200 रू कमशः प्रपत्र (अ) एवं (ब) में पृथक–पृथक 200–200 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम पर मूल प्रति में 50 रू के नोट्रियल टिकिट नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपथ पत्र भी आवश्यक रूप से बनाये व इसको ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करें । 50 रू के टिकिट एवं शपथ पत्र स्पष्ट रूप से दिखने चाहिये । शपथ–पत्र एवं 50 रू के नोट्रियल टिकिट के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। प्रत्येक जेल की निविदा के लिए पृथक-पृथक शपथ पत्र बनाया जाए। शपथ पत्र का प्रारूप निम्नानुसार है।

प्रारूप – अ शपथ पत्र

(कारागार अधिनियम 1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं..जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल.......................के लिये सामग्री प्रदाय करने हेतु फर्म .... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ । शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा करने वाली फर्म .... के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर किसी भी पद पर नियोजित नहीं हैं ।

(हस्ताक्षर शपथकर्ता)

प्रारूप – ब शपथ पत्र

(जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के पत्र 493 / निर्वाह शाखा / भोपाल, दिनांक 09.01.2026)

मैं ....जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल...................................के लिए सामग्री प्रदाय करने हेतु फर्म...की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ । शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म........................... के मालिक/भागीदार किसी भी अपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं हूँ |

(हस्ताक्षर शपथकर्ता)

9. तहसील / मण्डी / खाद्यान क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर एक सप्ताह में प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढ़ायी जा सकेगी।

10. निविदा में निविदाकारो द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर अपलोड कराएं जाएंगे | तकनीकी बिड खुलने के पश्चात् ऑनलाइन अपलोड दस्तावेजो का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर,हस्ताक्षर किए जावेंगे | अपठनीय,अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक करेंगे | निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D) राजसात कर ली जाएगी | तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेंगे :-

I. आधार कार्ड एवं पेन कार्ड
II. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र
III. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी.रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (quarter) का जी.एस.टी.रिटर्न।
IV. विगत 03 वर्षो का आयकर प्रमाण–पत्र ।
V. शपथ पत्र अ एवं ब ।
VI. अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मण्डी समिति का वैध लाईसेंस ।
VII. खाद्य वस्तुओ/दवाइयों के लिए खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रेशन अथवा वैध अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) । निविदाकार द्वारा जिस सामग्री हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है खाद्य लायसेंस (FSSAI लायसेंस) में उस सामग्री की कैटेगरी का उल्लेख होना अनिवार्य है ,प्रस्तुत सामग्री की कैटेगरी का उल्लेख न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।
VIII. वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद का वैध लाईसेंस |
IX. दवाईयों की निविदा हेतु वैध ड्रग लाईसेंस
X. निविदा में उल्लेख सामग्री के अपेक्षित नमूने से संबंधित पत्र ।

XI. वस्तुओ के ब्राण्ड से संबंधित पत्र।

XII. निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (Blacklist) में नहीं होने का घोषणा-पत्र

11. निविदा के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी या गलत पाये जाते है तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

12. निविदा में उल्लेखित खाद्यान्य एवं अन्य सामग्री के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथी एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होंगे। निविदाकार जिन सामग्रियों के लिए निविदा प्रस्तुत कर रहें है उन सामग्रियों के ब्रांड तथा मेक का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्रांड का नाम का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूने 500–500 ग्राम के पारदर्शी डब्बो में समान गुंणवत्ता वाले दो दो पैक में फर्म का नाम लिखकर, नमूने को पूर्णतः सीलबंद कर स्वहस्ताक्षरित फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

13. नमूने का परीक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूनों पर हस्ताक्षर कर,सील बंद डिब्बे में रखें जायेगे। निविदाकारों द्वारा प्रदाय वस्तुएं साफ सुथरी होंगी और नमूनों से मिलाई जाएगी व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का मिलान नमूने के मुताबित होंगे या न होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी जो मान्य होगी।

14. निविदा में दर्शायी गयी सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पडने पर सामगी की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न हानें पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरंत वापिस ले जाकर नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी यह वसूली भूराजस्व के बाकाया के रूप या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (performance Guarantee) राशि से की जा सकेगी साथ उसे भविष्य के लिए ब्लेकलिस्टेड करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

15. सब्जियां साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होगी जो प्रातः 07.00 से 09.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट तक पहुचानी होगी निर्धारित समय पर सब्जियां प्राप्त न होने पर बंदियों की भोजन व्यवस्था बनाये रखने हेतु खुले बाजार से सब्जियां क्रय की जाएगी जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा विलंब से भेजी गयी सब्जियां वापस कर दी जाएगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरद्रायी होंगे । सब्जियां जेल बगीचे से उपलब्ध न होने की दशा में ही ठेकेदार से क्रय की जाएगी।

16. दवाईयां एवं चिकित्सीय सामग्रियों की निविदा हेतु निविदाकार को वैघ ड्रग लाईसेंस अपलोड करना आवश्यक है। जिन दवाओं में एक्सपाइरी डेट निर्माता कंपनी द्वारा एक वर्ष से अधिक की नियत की गयी हो एसी दवाईयों की प्रदायगी में सामान्यतः एक्सपाईयरी डेट कम से कम एक वर्ष शेष होना आवश्यक है । दवाईयां एवं चिकित्सीय सामग्री ठेके में एम.आर.पी. से अधिकतम डिस्काउंट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी । निविदाकारों को अस्पताल में भर्ती बंदियों तथा जेल में गंभीर रूप से बीमार बंदियों की मांग किये जाने पर तत्काल दवाईयों की पूर्ती करनी होगी।

17. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय/अर्धशासकीय शासन द्वारा अधिकृत संस्थानों द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जाएगी।

18. जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गयी हो उसे 10 दिवस के अंदर पंजीयन एवं स्टांप (वाणिज्यिक कर)विभाग मध्यप्रदेश के निर्धारित स्टांप शुल्क अनुसार नॉन ज्युडिशियल स्टांप पर करारनामा भरना होगा,जिसकी प्रति संबंधित जेल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

19. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएगी ठेके की शर्तों के कियान्वयन के लिए सफल निविदाकर्ता निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण पत्र या उसके बदले में निविदा की रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति (Parformance Guarantee) डिमांड ड्राप्ट / मियादी जमा रसीद / बैंकर्स चैक / बेंक

गारंटी/Irrevocable के रूप में देगा।बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगी। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी।

20. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं म.प्र. के अनुमोदन के उपरान्त ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L1) निविदा वापस लेते हुए करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा करने से इन्कार करता है। तो उसका टेंडर निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा की गयी 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि जप्त कर ली जाएगी और संबंधित खण्ड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी।

21. सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियां समझौते के अनुसार किश्तों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इन्डेंट के आधार पर संबंधित जेल के गेट पर करनी होगी। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त भाडा देय नहीं होगा। इंडेट प्राप्त करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।

22. प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार करने के लिए अपने अधिकृत मोबाइल नम्बर/Whatsapp Number/Email ID देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारो ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिंटिड लेटर पेड पर मोबाइल नम्बर/ /Whatsapp Number/Email ID में से कोई एक भी अंकित किया है,तो उसे भी मान्य किया जावेगा। उक्त अधिकृत माध्यमो पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होगी।

23. देयकों का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई.पेमेन्ट के माध्यम से किया जाएगा।सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा काटा जाएगा। विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु डिमांड ड्राप्ट/बैंकर्स चैक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जाएगा। देयकों के भुगतान में विलंब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।

24. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं म.प्र. को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थायी रूप से स्वीकार की गयी। निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशतः स्वीकृत या नामंजूर करने का अधिकार है।

25. निविदा तथा करारनामें के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय की क्षेत्राधिकार में होंगे।

26. जेल मुख्यालय म0प्र0 भोपाल के पत्र कमांक 27959/निर्वाह शाखा/25 दिनांक 22/12/25 के द्वारा निविदा में पारदर्शिता अपनाने एवं भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु उक्त शर्तो के अतिरिक्त निम्नानुसार निर्देश जारी किये गए है । जिन्हे निविदा में भाग लेने वाले समस्त निविदाकार की ओर पालन करने हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है :–

01.कुछ फर्मो द्वारा निविदा समाचार पत्रो में प्रकाशित होने से पिछले 03 माह का जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत न करते हुये इसके पूर्व माह के जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत किये जाते है ,जो कि सही नही है । स्पष्ट किया जाता है कि निविदा समाचार पत्रो में प्रकाशन होने से पिछले 03 माह का जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करना होगा , यदि निविदा प्रकाशन के 03 माह के पूर्व के अतिरिक्त किसी माह का जीएसटी प्रस्तुत किया जावेगा तो ऐसी निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।

02.यदि किसी निविदाकार द्वारा किसी सामग्री की दर प्रस्तुत नही की जाती है तो दर के स्थान पर शून्य का उपयोग न करते हुए not Quoted के विकल्प का प्रयोग किया जावे । जिससे एल 1 प्रभावित न हो सके ।

03.निविदाकर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अ एवं ब के प्रथम एवं द्वितीय दोनो प्रष्ठो की प्रति प्रस्तुत करना होगा जिससे नोटरीकृत है अथवा नही है स्पष्ट हो जाये एवं निविदा प्रकाशन तिथी के उपरांत बनाये गये शपथ पत्र ही मान्य किये जावेगे पूर्व के वर्ष में बनाये गये शपथ पर विचार नही किया जावेगा ।

अधीक्षक
सब जेल जतारा जिला–टीकमगढ म.प्र.

कार्यालय अधीक्षक सब जेल जतारा जिला टीकमगढ (म.प्र.)

क्रमांक/ 1124 /निर्वाह/2026 जतारा,दिनांक 29 /04/2026

– :: द्वितीय ई–टेण्डरिंग आमंत्रण सूचना ::–

द्वितीय (वार्षिक ठेका)वर्ष 2026–27

कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल सागर सागर के प; क्रमांक 750/निर्वाह शाखा/25 सागर दिनांक 29/12/25 द्वारा सर्किल के अधीनस्त आने वाली समस्त जेलो में निरूद्व बंदियो की आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु सब जेल जतारा में परिरूद्ध बंदियों हेतु म.प्र. जेल आपूर्ति नियम 1968 तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित–2022) के तहत् (1) खाद्यान सामग्री (2) सब्जी एवं फल (3) दवाईयां ,मेडिकल जांच एवं परीक्षण (4) स्वच्छता सामग्री (5) भवन निर्माण सामग्री की पूर्ति हेतु **द्वितीय वार्षिक निविदा ई–टेण्डरिंग** के माध्यम से आमंत्रित की गई जाती है।

निविदा की जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.inपर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	विवरण	दिनांक/समय	स्थान
01	ऑनलाईन द्वितीय निविदा प्रकाशन एवं निविदा फार्म क्रय करने की तिथि,	05.05.2026 दोपहर 12:00 बजे	बेबसाईट www.mptenders.gov.inपर प्राप्त किये जा सकेगे।
02	प्री–बिड मिटिंग	11.05.2026 दोपहर 12:00 बजे	कार्यालय अधीक्षक सब जेल जतारा जिला टीकमगढ (म.प्र)
03	ऑनलाईन द्वितीय निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा ई–निविदा शुल्क ठेके की लागत 05 लाख तक रूप्ये 500/. एवं 05 लाख से अधिक रूप्ये –1000/–, प्रति निविदा लेखा शीर्ष 0056, जेलें –008 अन्य प्राप्तियां में जमा करना होगा ।	26.05.2026 शाम 05:30 बजे	बेबसाईट www.mptenders.gov.inपर ऑनलाईन स्वीकार की जावेगी।
04	सामग्रियों के नमूना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26.05.2026 शाम 05:30 बजे	कार्यालय अधीक्षक सब जेल जतारा जिला टीकमगढ (म.प्र)
05	ऑनलाईन द्वितीय तकनीकि निविदा खोलने / नमूना का परीक्षण /दस्जावेज परीक्षण	28.05.2026 शाम 09:30 बजे	कार्यालय अधीक्षक सब जेल जतारा जिला टीकमगढ (म.प्र)

01. **द्वितीय** ई–निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन सिस्टम पर क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते है। निविदा एवं उससे संबंधित समस्त जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाईट पर देखे। निविदा संबंधी समस्त कार्यवाही अधीक्षक सबजेल जतारा के द्वारा की जायेगी।

02. **द्वितीय** निविदा में किया गया कोई भी संसोधन वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर ही किया जाएगा । जिसकी सूचना सब जेल जतारा के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी । पृथक से कोई संसोधन समाचार पत्र में प्रकासित नहीं किया जाएगा ।

अधीक्षक
सब जेल जतारा जिला टीकमगढ म.प्र.

Signature Not Verified
Digitally signed by
RAJKISHOR SINGH GURJAR
Date: 2026.05.04 12:26:44 IST
Location: Madhya Pradesh-MP